



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2010/चैत्र 26, 1932

No. 97]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2010/CHAITRA 26, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2010/मेडि./3491.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना (संशोधन) विनियमावली, 2010 भाग-II" कहा जाए ।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
2. "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :-
3. खण्ड 8.3 में "अनुमति प्रदान करना" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :-

"8. (3) (1) किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने और छात्रों को दाखिल करने की अनुमति आरंभतः एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है और इसका नवीकरण वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का सत्यापन करने की शर्त के अधीन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जा सकता है । यह व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह आरंभिक अनुमति समाप्त होने से 6 महीने पहले नवीकरण के उद्देश्य के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में आवेदन दे । अनुमति के नवीकरण की यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी, जब तक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और अस्पताल की सुविधाओं का विस्तारण पूरा न हो जाए और मेडिकल कॉलेज की औपचारिक

मान्यता प्रदान न कर दी जाए । इसके अलावा, किसी भी चरण में दाखिले नहीं किए जाएंगे, जब तक परिषद की शर्तें पूरी न कर दी जाए । केंद्रीय सरकार किसी भी चरण में आवेदक को कमियां संसूचित कर सकती है और उसे इन कमियों को दूर करने का अवसर तथा समय दे सकती है ।

बशर्तें कि

(क) दूसरे नवीकरण (अर्थात् तीसरे बैच के दाखिले) तक के चरण में कॉलेजों के संबंध में :

यदि संस्थान के किसी नियमित निरीक्षण के दौरान यह अवलोकन किया जाता है कि अध्यापन सुविधा और/या आवासीय डॉक्टरों की कमी 30 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तरों की आकुपेंसी < 60 प्रतिशत है तो ऐसे संस्थान पर उस अकादमिक वर्ष में अनुमति के नवीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(ख) एम बी बी एस डिग्री अवार्ड करने के लिए संस्थान को मान्यता प्रदान करने तक तीसरे नवीकरण (अर्थात् चौथे बैच के दाखिले) के चरण में कॉलेजों के संबंध में :

यदि संस्थान के किसी नियमित निरीक्षण के दौरान यह अवलोकन किया जाता है कि अध्यापन सुविधा और/या आवासीय डॉक्टरों की कमी 20 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तरों की आकुपेंसी < 70 प्रतिशत है तो ऐसे संस्थान पर उस अकादमिक वर्ष में अनुमति के नवीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(ग) एम बी बी एस डिग्री अवार्ड करने और/या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए पहले से ही मान्यता प्रदत्त कॉलेजों के संबंध में :

यदि संस्थान के किसी नियमित निरीक्षण के दौरान यह अवलोकन किया जाता है अध्यापन संकाय और/या आवासीय डॉक्टरों की कमी 10 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तरों की आकुपेंसी < 80 प्रतिशत है तो ऐसे संस्थानों पर उस अकादमिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनपत्रों के प्रोसेसिंग हेतु विचार नहीं किया जाएगा और यह कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा कि स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11 (2) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं, के लिए संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस लेने हेतु क्यों सिफारिश न की जाए और अनुमति प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले रोकने के निर्देश क्यों न दे दी जाए ।

(घ) झूठे/फर्जी दस्तावेजों वाले अध्यापकों को नियोजित करने के दोषी पाए गए कॉलेजों के संबंध में :

यदि यह अवलोकन किया जाता है कि कोई संस्थान झूठे/फर्जी दस्तावेजों वाले किसी अध्यापक को नियोजित करने का दोषी पाया गया है और उसने किसी अध्यापक का घोषणा फार्म प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसे संस्थान के 2 अकादमिक वर्षों अर्थात् उस अकादमिक वर्ष और अगले अकादमिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग/एम बी बी एस डिग्री अवार्ड करने की अनुमति/मान्यता के नवीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा ।

तथापि परिषद का कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए महत्वपूर्ण धार्मिक और त्यौहार के अवकाशों के कम-से-कम 3 दिन पहले या 3 दिन पश्चात् तक ऐसे निरीक्षण न किए जाए ।

(2) एम बी बी एस डिग्री के अवार्ड के लिए किसी स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम के लिए इस प्रकार प्रदान की गई मान्यता 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए होगी, जिसके पश्चात् इसका नवीकरण कराना होगा ।

(3) मान्यता के नवीकरण की प्रक्रिया वहीं होगी जो मान्यता प्रदान करने के लिए लागू होती है ।

(4) उपरोक्त उप-खंड (क) में यथा अपेक्षित मान्यता का समय से नवीकरण कराने में विफल रहने का निश्चित रूप से यह परिणाम होगा कि उक्त संस्थान में एम बी बी एस के संबंधित स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम में दाखिले रोक दिए जाएंगे ।

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/10/असा.]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली 1999" भारत के गजट के भाग—III, धारा (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना संख्या 34 (41)/98—मेडि. के अंतर्गत दिनांक 28 अगस्त, 1999 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 7 अक्टूबर, 1999, 14 अगस्त, 2000, 29 जुलाई, 2008, 22 अक्टूबर 2009 और 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2010

No. MCI. 34(41)/2010-Med./3491.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2010 (Part II)".
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. In Clause 8.3 under the heading "GRANT OF PERMISSION" the following shall be added: -

"8(3) (1) The permission to establish a medical college and admit students may be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to verification of the achievements of annual targets. It shall be the responsibility of the person to apply to the Medical Council of India for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission. This process of renewal of permission will continue till such time the establishment of the medical college and expansion of the hospital facilities are completed and a formal recognition of the medical college is granted. Further admissions shall not be made at any stage unless the requirements of the Council are fulfilled. The Central Government may at any stage convey the deficiencies to the applicant and provide him an opportunity and time to rectify the deficiencies.

PROVIDED that in respect of

(a) Colleges in the stage upto II renewal (i.e. Admission of third batch):

If it is observed during any regular inspection of the institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 30% and/or bed occupancy is < 60 %, such an institute will not be considered for renewal of permission in that Academic Year.

(b) Colleges in the stage from III renewal (i.e. Admission of fourth batch) till recognition of the institute for award of M.B;B.S. degree:

If it is observed during any regular inspection of the institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 20% and/or bed occupancy is < 70 %, such an institute will not be considered for renewal of permission in that Academic Year.

(c) Colleges which are already recognized for award of M.B;B.S. degree and/or running Postgraduate Courses:

If it is observed during any regular inspection of the institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 10% and/or bed occupancy is < 80 %, such an institute will not be considered for processing applications for postgraduate courses in that Academic Year and will be issued show cause notices as to why the recommendation for withdrawal of recognition of the courses run by that institute should not be made for Undergraduate and Postgraduate courses which are recognized u/s 11(2) of the IMC Act, 1956 along with direction of stoppage of admissions in permitted Postgraduate courses.

(d) Colleges which are found to have employed teachers with faked / forged documents:

If it is observed that any institute is found to have employed a teacher with faked / forged documents and have submitted the Declaration Form of such a teacher, such an institute will not be considered for renewal of permission / recognition for award

of M.B.B.S. degree / processing the applications for postgraduate courses for two Academic Years – i.e. that Academic Year and the next Academic Year also.

However, the office of the Council shall ensure that such inspections are not carried out at least 3 days before upto 3 days after important religious and festival holidays declared by the Central/State Govt.

(2) The recognition so granted to an Undergraduate Course for award of MBBS degree shall be for a maximum period of 5 years, upon which it shall have to be renewed.

(3) The procedure for 'Renewal' of recognition shall be same as applicable for the award of recognition.

(4) Failure to seek timely renewal of recognition as required in sub-clause (a) supra shall invariably result in stoppage of admissions to the concerned Undergraduate Course of MBBS at the said institute."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/10/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 34(41)/98-Med. and amended vide notification 7th October, 1999, 14th August, 2000, 29th July, 2008, 22nd October, 2009 and 26th February, 2010.

1408G1/10-2